संख्या : 84 /IV(1)/2010–123(कुम्भ)/2009

प्रेषक,

अनूप वधावन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 19 जनवरी, 2010

विषयः आगामी कुम्भ मेला, 2010 हेतु जगजीतपुर ग्राम की सीवरेज योजना की द्वितीय एवं अन्तिम किश्त की धनराशि के व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–936/IV(1)/2009–123(कुम्भ)/2009, दिनांक 16.10.2009 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, हरिद्वार द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन रू. 167.78 लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू. 129.81 लाख (रू. एक करोड़ उन्तीस लाख इकासी हजार मात्र) की धनराशि में से रू. 50.00 लाख (रू. पचास लाख मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तत्क्रम में आपके पत्र संख्या 3220/कु.मे./2010/उपयोगिता प्रमाण पत्र, दिनांक 03.12.2009 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उक्त कार्य हेतु संस्तुत धनराशि के सापेक्ष अवशेष **रू. 79.81 लाख (रू. नवासी लाख इक्यासी हजार मात्र)** की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2009–10 में व्यय किए जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्व अवमुक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही दो बराबर किश्तों में आहरण किया जायेगा और पूर्व आहरित धनराशि के पूर्ण उपयोग के बाद ही दूसरी किश्त का कोषागार से आहरण किया जायेगा। यदि पूर्व स्वीकृत धनराशि बैंक में रखी गयी है तब उक्त पर अर्जित समस्त ब्याज का विवरण देकर उसे ट्रेजरी चालान के द्वारा राजकोष में जमा करके उसकी प्रति शासन को भी प्रेषित कर दी जायेगी।
2. उक्त धनराशि के विपरीत न्यूनतम निविदा (एल–1) के परिदृश्य में व्यय हेतु न्यूनतम आवश्यक धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा। साथ ही आहरित धनराशि से कोई बचत होती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जायेगा।
3. उक्त कार्य इसी धनराशि से पूर्ण किया जाएगा और आगणन का पुनरीक्षण किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।
4. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का निकटता से पर्यवेक्षण किया जाए। इसके लिए यथाआवश्यकता, निगरानी समिति का गठन कर लिया जाए।
5. निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के प्राविधानों का पालन कड़ाई से किया जाये।
6. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्यस्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य कराया जाय।
7. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 की व्यवस्थानुसार निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाएगी।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2010 तक उपयोग करके कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा, उक्त तिथि को समस्त अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाय।

9. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित अधिशासी अभियंता/मेलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
10. उक्त धनराशि का आहरण मेलाधिकारी, हरिद्वार के आहरण वितरण कोड से किया जाएगा।
11. यदि उक्त कार्य को पूर्ण करने में धनराशि वास्तव में कम व्यय होती है तो शेष राशि दिनांक 31.03.2010 तक राजकोष में तत्काल जमा कर दी जायेगी।
12. आहरण करते समय इस आशय का प्रमाण पत्र लगाया जायेगा कि कुम्भ मेला, 2010 कार्यों हेतु पी.एल.ए. में धनराशि शेष नहीं है।
13. शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त शासनादेश दिनांक 16.10.2009 के अनुसार यथावत लागू रहेंगे।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय शासनादेश संख्या 1614/IV(1)/2009–39 (सा.)/2006–टी.सी. दिनांक 24 नवम्बर, 2009 के द्वारा मेलाधिकारी के निवर्तन पर रखी गई धनराशि रू. 100करोड़ के सापेक्ष आहरित कर किया जाएगा तथा पुस्तांकन तद्स्थान में वर्णित लेखाशीर्षक में किया जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा.सं. 934/XXVII(2)/2009 दिनांक 18 जनवरी, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
प्रमुख सचिव।

संख्या : ३५ (1)/IV(1)/2010 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करें।
11. अधिशासी अभियंता, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, हरिद्वार।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(निधि मणि त्रिपाठी)
अपर सचिव।